जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 16.09.2023

आज दिनांक 16.09.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना दुधारा पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्रीमती दीपांशी राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुधारा ***श्री राकेश कुमार मिश्र*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 338/2023 धारा 363/366/376(3) भा0द0वि0 व 5 / 6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अशरफ अली पुत्र जलाउद्दीन ग्राम पनियरा टोला अकटहिया थाना पनियरा जनपद महराजगंज को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था तथा दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 02.09.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 16.09.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, हे0का0 अरविन्द यादव।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेहदावल *श्री अम्बरीष सिंह भदौरिया* के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 278/2023 धारा 376/363/366/120B भा0द0वि0 व 5/6 पास्को एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त निखिल यादव पुत्र चैतू यादव निवासी पंचनेऊरी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को बढ़या ठाठर पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया व मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.09.2023 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री दद्दन राय, का0 चंद्रशेखर सिंह, मिथिलेश वर्मा, म.का. खुश्बू सिंह।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्रीमती दीपांशी राठौर* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 918/2023 धारा 376डी/504/506/452/354डी भादवि, 5/6 व 7/8 पाक्सो एक्ट पास्को एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्त नाम पता 1- सुनील यादव पुत्र रामसन्त यादव, 2- सूरज यादव पुत्र रामसन्त यादव निवासीगण अशरफाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अंतर्गत धारा 376डी / 452 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तों द्वारा वादा के घर में घुसकर उसकी नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म आदि घटना कारित की गई थी। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.09.2023 को उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रजनीश राय, हे0का0 आनन्द दूबे, हे0का0 सोनू पटेल, का0 हरेन्द्र यादव, का0 सुमित राय।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा रंगदारी का प्रयास व धमकी आदि के मामले में 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्रीमती दीपांशी राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 931/2023 धारा 384 / 504 / 506 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्त नाम पता 1-करन पुत्र राजकुमार निवासी लंगड़ाबार थाना बखिरा, 2- संदीप कुमार पुत्र बालदीप निवासी साहूपार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को घटना में प्रयुक्त डिजिटल कैमरा, 01 अदद तलवार, 01 अदद चाकू व 01 अदद हीरो स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। अभियुक्त करन उपरोक्त के पास से 01 अदद तलवार व अभियुक्त संदीप उपरोक्त के पास से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 938 / 2023 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनिमय बनाम करन उपरोक्त व मु0अ0सं0 939 / 2023 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम संदीप कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

बरामदगीः-

01 अदद निकोन डिजिटल कैमरा।

01 अदद तलवार।

01 अदद चाकू।

01 अदद हीरो स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल।

संक्षिप्त विवरणः- कल दिनांक 15.09.2023 को वादी श्री चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 राजदेव सिंह निवासी मईला थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर द्वारा थाना को0 खलीलाबाद पर सूचना दिया गया कि वह शम्भूनाथ मेमोरियल हास्पिटल में ड्राइवर है। नगवा स्थित हास्पिटल से चिकित्सक को लेकर बंधवा जाते समय शेखर पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा ओवरटेक कर गाड़ी को रोक लिया गया व गाड़ी का गेट खोलने पर उनके द्वारा गाली गलौज, जान माल की धमकी देते हुए रंगदारी आदि मांगने की घटना कारित की गई है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रमेश यादव, कां0 घनश्याम त्रिपाठी, कां0 मंजीत यादव, कां0 राजनरायण प्रजापति ।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा युवती के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री अम्बरीष सिंह भदौरिया*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 266/2023 धारा 354C,376,506 भा0द0वि0 व 67 आईटी एक्ट थाना बखिरा के मामले मे वांछित अभियुक्त संगम कुमार पुत्र धर्मेन्द्र कुमार निवासी रामवापुर थाना मेहदावल जनपद संत कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक मेहदावल श्री विजय कुमार दूबे, हे0कां0 पप्पू सिंह, हे0कां0 अनिल यादव, का0भीम कुमार ।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 3308 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल*–** पीआरवी 3308 को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत महुली से इवेन्ट संख्या 08910 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 02 लोगों (1-रविन्द्र पुत्र तीरथ, 2- श्रीमती सुमन पत्नी रविन्द्र निवासीगण मुण्डेरा शुक्ल थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगों को जरिए एंबुलेंश से सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना के संबंध में थाना महुली को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – आ0 जितेन्द्र चौधरी, हो0चा0 चन्द्रसेन।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 68 वाहनों से 58,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया

आज दिनांक 16.09.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 68 वाहनों से 58,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया ।